न्यायालय– अवर न्यायाधीश–द्वितीय, लखीसराय।
बँटवारा वाद संख्या–71/2023

जगीया देवी पति स्व0 दारोगी महतो.........वादीगण।
बनाम्
रामाधीन महतो पे0 स्व0 भागवत महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण।

27-5-25

वादी एवं प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा पैरवी है। अभिलेख प्रस्तुत हुआ। वादी दिनांक 13.12.2024 के आवेदन को संचालित किये और निवेदन किये कि अभय पक्षों के बीच बँटवारा विवाद को शुभचिन्तकों के हस्तक्षेप से सुलझा लिया गया है, जिसके कारण वादिनी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। अतः वादिनी को प्रस्तुत वाद वापस करने की अनुमति प्रदान की जाय।

प्रतिवादी के अधिवक्ता की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर पर सुना। प्रतिवादी के अधिवक्ता का निवेदन है कि वादी ने प्रतिवादी को परेशान करने के लिये यह वाद दाखिल किया था अतः वादी पर भारी खर्चा लगा कर आवेदन को स्वीकार किया जाय।

उभय पक्षों को सुना। वादी जो कि अपने वाद का विधि की दृष्टि में पूर्ण स्वामी होता है तथा वाद को चलाने या ना चलाने का निर्णय वह स्वयं लेता है और विधि अनुसार निर्णय के पूर्व तक कभी वह अपने वाद को वापस लेने का अधिकार रखता है परंतु, प्रतिवादी द्वारा इस वाद में किये खर्चे की भरपाई के तौर पर प्रतिवादी को 1000/– रुपया खर्चा अदा करने पर वादी को अपना वाद वापस लेने हेतु दिये गये आवेदन दिनांक 13.12.2024 को स्वीकृत किया जाता है। वादी का वाद वापस किया जाता है। अतः वाद को तद्नुसार निष्पादित किया जाता है। वादी का उपरोक्त तथ्यों पर पुनः नया वाद दाखिल करने का अधिकार बना रहेगा।

लेखापित

अवर न्यायाधीश–द्वितीय,
लखीसराय

वाद मे
27-5-25

वादी द्वारा इस वाद में किये गये खर्चे की भरपाई के तौर पर प्रतिवादी को मो0 1000/- रुपया खर्चा अदा किया गया। अतः वाद को तदनुसार निष्पादित किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

ह0
स.न्या.द्वि